



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



क्रमांक एचआरएम-II/पी-141(16)2024/एपीएफसी/ई-587141/671

दिनांक: 24.06.2025

कार्यालय आदेश

31.12.2023 को हुए विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी श्रीमती दमयंती बारा, ईओ/एओ को सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (पूर्व-संशोधित पीबी3 रु.15600-39100/- + ग्रेड वेतन रु.5400/-) पर पैनल वर्ष 2024 के लिए नियमित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति को मंजूरी प्रदान करता है:-

क्रम सं.	पद (वरिष्ठता सूची के अनुसार दिनांक 30.08.2023)	नाम	ईआईडी	पैनल वर्ष
1.	136	श्रीमती दमयंती बारा	डीए010765089160184	2024

2. सक्षम प्राधिकारी ने उपर्युक्त अधिकारी के नाम के समक्ष उल्लिखित पैनल वर्ष 2024 में उनकी पदोन्नति और नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अधिकारी वर्तमान तैनाती स्थान पर बने रहेंगे। पैनल वर्ष में पदोन्नति और नियुक्ति उनके निकटतम कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति/नियुक्ति की तिथि से नोशनल आधार पर प्रभावी होगी। नियमित नियुक्ति पर, अधिकारी एपीएफसी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं।

3. अधिकारी की वरिष्ठता क.भ.नि स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार सहायक भविष्य निधि आयुक्त के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।

4. सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में अधिकारी की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा ई-मेल re1.hrm@epfindia.gov.in के माध्यम से एच आर एम-1, मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.06.2018 के आदेश संख्या एफ. सं. 36012/11/2016- स्था.(आर.-1) {भाग-II} के अनुसार, यहां यह उल्लेख करना है कि तत्काल पदोन्नति आदेश उपर्युक्त कार्यालय जापन में उल्लिखित मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम के अधीन है।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (एचआरएम-1)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी

(अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त-मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय, दिल्ली के माध्यम से)

प्रतिलिपि: (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से)

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव
3. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, क्षेत्रीय कार्यालय-दिल्ली (पूर्व)
5. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, जिसमें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एनडीसी) शामिल हैं
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी
7. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल
8. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइल।
9. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय/गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (एचआरएम-1)